UPSD010024822017

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), सिद्धार्थनगर।

उपस्थित——बीरेन्द्र कुमार, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड————————यू.पी. ६४६३

विशेष फौजदारी(लैंगिक) वाद संख्या——————६५/२०१७

राज्य उत्तर प्रदेश——————————————————————————————अभियोजक

बनाम

१–संजय मौर्या पुत्र रामजीत मौर्या,

२–राममूरत दूबे पुत्र लाल दूबे,

३–रामजीत मौर्या पुत्र बुद्धू मौर्या (मृतक)

४–श्रीमती शोभा पत्नी रामजीत मौर्या (मृतक)

निवासीगण गोपलापुर, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर

५–योगेश पाण्डेय उर्फ जुगेश पुत्र रामअवध पाण्डेय (मृतक)

निवासी जीवा, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर ———विपक्षीगण

मु०अ०सं०–१७/२०१७

अन्तर्गत धारा–३६३,३६६,३७६,१२०बी. भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट

थाना–बांसी **व जनपद**–सिद्धार्थनगर।

निर्णय

१– अभियुक्तगण संजय मौर्या, रामजीत मौर्या, श्रीमती शोभा (मृतक), राममूरत दूबे (मृतक) व योगेश पाण्डेय उर्फ जुगेश (मृतक) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट, मुकदमा अपराध संख्या–१७/२०१७ में विवेचना के पश्चात थाना–बांसी द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर अभियुक्तगण का विचारण न्यायालय द्वारा किया गया।

२– प्रस्तुत ममले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश–बनाम–स्टेट ऑफ यू.पी. २००६(५५) एस.सी.सी. ५५६ एस.सी. के मामले में दिये गये निर्देश के प्रकाश में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके नाम के स्थान पर पीड़िता लिखकर सम्बोधित किया जा रहा है।

३– वादी मुकदमा राम सुभग यादव पुत्र बृजलाल यादव, निवासी गोपलापुर, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 2026.08.03 17:40:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक २०.१२.२०१६ की शाम आठ बजे वादी की नाबालिग लड़की/पीड़िता, उम्र लगभग १४ वर्ष, घर से निकली व काफी देर रात तक घर नहीं आयी तो वादी ने अपने रिश्तेदारों के घर अपनी लड़की/पीड़िता को तलाशने के बाद थाने पर प्रार्थना–पत्र दिया। वादी की लड़की/पीड़िता को गांव का संजय मौर्या पुत्र रामजीत आसनाई के वास्ते कहीं बहला–फुसालकर लेकर चला गया। अतः उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

४– वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–१ के आधार पर दिनांक–०५.०१.२०१७ को अभियुक्त संजय मौर्या के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–१७/२०१७, अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६ भा.दं.सं., थाना–बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर में पंजीकृत किया गया और मामले की विवेचना पुलिस थाना–बांसी द्वारा की गयी। उक्त मामले की चिक एफ.आई.आर. पत्रावली पर प्रदर्श क–०४ के रूप में उपलब्ध है। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा, पीड़िता तथा अन्य साक्षियों का बयान लिया एवं घटना स्थल का निरीक्षण करके घटना स्थल मानचित्र तैयार कर विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण संजय मौर्या, रामजीत मौर्या, श्रीमती शोभा (मृतक), राममूरत दूबे (मृतक) व योगेश पाण्डेय उर्फ जुगेश (मृतक) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पर्याप्त मामला पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया।

५– चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–१२ के अनुसार पीड़िता के संरक्षक द्वारा पीड़िता का बाह्य व आन्तरिक परीक्षण कराने से मना किया गया, जिसके सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र दिया गया था।

६– न्यायालय द्वारा आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया। दौरान विचारण यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक १६.१०.२०२३ को अभियुक्त योगेश पाण्डेय उर्फ जुगेश की मृत्यु हो गयी, जिस कारण इस न्यायालय द्वारा साक्षी सी.डब्ल्यू.–१ चन्द्रावती व सी.डब्ल्यू.–२ विजय प्रकाश दीक्षित उपनिरीक्षक के बयान के आधार पर दिनांक १८.०८.२०२५ को अभियुक्त योगेश पाण्डेय उर्प जुगेश के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा यह भी प्रकाश में आया कि उक्त मामले से सम्बन्धित अभियुक्तगण रामजीत मौर्या व श्रीमती शोभा की भी मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण न्यायालय द्वारा साक्षी सी.डब्ल्यू.–३ उपनिरीक्षक रामप्रताप सिंह व सी.डब्ल्यू.–४ विरेन्द्र कुमार दूबे, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत उदयपुर थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर के बयान के आधार पर दिनांक १९.११.२०२५ को अभियुक्तगण रामजीत मौर्या व श्रीमती शोभा के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी। न्यायालय द्वारा दिनांक १६.१२.२०२५ को शेष अभियुक्तगण संजय मौर्या व राममूरत दूबे के विरूद्ध धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

७– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

पी.डब्ल्यू.–१	वादी मुकदमा रामसुभग (पीड़िता की पिता)

पी.डब्ल्यू.–२	सुभावती (पीड़िता की माता)
पी.डब्ल्यू.–३	पीड़िता
पी.डब्ल्यू.–४	हरिनारायण दीक्षित, निरीक्षक (विवेचक)
पी.डब्ल्यू.–५	धर्मेन्द्र कुमार मिश्र इंचार्ज प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय चरथरी, विकास खण्ड–मिठवल, जिला–सिद्धार्थनगर
पी.डब्ल्यू.–६	डॉ. राजीव रंजन रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर
पी.डब्ल्यू.–७	डॉ. अनु मोदी महिला चिकित्सक

८– अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है–

क्रम सं.	**अभिलेखीय साक्ष्य**	**प्रदर्श संख्या**	**साक्षी/साबितकर्ता**
१	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–१	पी.डब्ल्यू.–१
२	पीड़िता का धारा–१६४ दं.प्र.सं. का बयान	प्रदर्श क–२	पी.डब्ल्यू.–३
३	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–३	पी.डब्ल्यू.–४
४	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–४	पी.डब्ल्यू.–४
५	जी.डी. कायमी	प्रदर्श क–५	पी.डब्ल्यू.–४
६	घटना स्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–६	पी.डब्ल्यू.–४
७	फर्द	प्रदर्श क–७	पी.डब्ल्यू.–४
८	स्कॉलर रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श क–८	पी.डब्ल्यू.–५
९	पीड़िता के स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति	प्रदर्श क–९	पी.डब्ल्यू.–५
१०	पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–१०	पी.डब्ल्यू.–६
११	एक्स–रे प्लेट	वस्तु प्रदर्श–१	पी.डब्ल्यू.–६
१२	सी.एम.ओ.द्वारा जारी पीड़िता के उम्र निर्धारण प्रमाण–पत्र	प्रदर्श क–११	पी.डब्ल्यू.–६

९– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति उपरान्त दिनांक १८.०७.२०२६ को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–३१३ द.प्र.सं. अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये साक्षी पी.डब्ल्यू.–१ झूठी गवाही देना तथा गलत मुकदमा लिखाया है, पी.डब्ल्यू.–२ व पी.डब्ल्यू.–७ द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध कुछ नहीं कहना, पी.डब्ल्यू.–३ द्वारा झूठी गवाही देना एवं साक्षी पी.डब्ल्यू.–४, पी.डब्ल्यू.–५ व पी.डब्ल्यू.–६ द्वारा कारगुजारी साबित करना बताते हुए मुकदमा गांव की पार्टीबन्दी में दुश्मनों के चढ़ाने पर चलना व सफाई साक्ष्य नहीं देना बताया गया है।

१०– विद्वान विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन मेरे द्वारा किया गया।

११– पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए तीन तथ्य के एवं चार औपचारिक साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

१२– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–१ वादी मुकदमा रामसुभग (पीड़िता का पिता) ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि "पीड़िता मेरी लड़की है। घटना हुए लगभग ९ साल हो रहा है। घटना साम ८ बजे की है। मेरी लड़की/पीड़िता की उम्र घटना के समय लगभग १४ साल थी। मुल्जिम संजय मौर्या मेरे गाँव का है, वही मेरी लड़की/पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले गया था। मैंने काफी खोज बीन किया था, नात–रिश्तेदारो में पता किया था, जब मेरी लड़की/पीड़िता नहीं मिली तो मैं थक–हार कर १५ दिन बाद घटना की सूचना देने थाने पर गया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या ५क असल तहरीर दिखलाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यही तहरीर मैंने एक आदमी से लिखवाकर, पढवाकर, सुनकर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। मैं इसकी पुष्टी करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–१ डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मुल्जिम रामजीत मौर्या संजय के पिता है। उनको सारी बात मालूम थी। मुल्जिम राममूरत दूबे भी मेरे गाँव का है। उन्होंने भी मेरी लड़की/पीड़िता को भगाने में सहयोग किया था। मुल्जिम शोभा संजय की माँ है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने भी मेरी लड़की को भगाने में सहयोग किया था। मुल्जिम योगेश पाण्डेय ग्राम जीवा के हैं, इन्होने भी मेरी नाबालिग लडकी को भगाने में सहयोग किया था। सारी बात मैंने दरोगा जी को बताई थी।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि**, "जिस दिन मेरी लडकी घर से गयी थी। उस समय मै खेत में था। मैंने अपनी आँखो से पीडिता को घर से जाते हुए नहीं देखा था। मैंने मुल्जिम जोगेश पाण्डेय, रामजीत मौर्या, राममूरत दूबे और शोभा मौर्या को अपनी लड़की पीड़िता को भगाते हुए नहीं देखा था। मुझे गाँव के लोगों ने बताया था कि आप की लडकी/पीड़िता को संजय मौर्या भगा कर ले गये है। इसी आधार पर मैंने मुकदमा लिखा दिया था। मैंने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल संजय मौर्या के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। मेरी लड़की/पीड़िता प्राथमिक विद्यालय चरथरी में पढ़ रही थी। मेरी लड़की शुरु से ही चरथरी में ही पढ़ी है। मेरी लड़की/पीड़िता का कोई जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है। मैंने दरोगा जी को अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६१ सी.आर.पी. सी. में बताया था कि मेरी लड़की के भगाने में राममूरत दूबे, रामजीत मौर्या, शोभा मौर्या व जोगेश पाण्डेय का हाथ है। यदि मेरे बयान बयान में उक्त बाते दरोगा जी न लिखे हो तो मैं कोई कारण नही बता सकता। घटना वाले दिन मैं साम ०६ बजे घर पर आ गया था। उस समय मेरी लड़की घर पर नहीं थी। जब मेरी लड़की घर से निकली थी तो मेरी पत्नी घर पर थी या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं थाने पर घटना वाले दिन नहीं गया था। मेरी लड़की संजय से बातचीत करती थी या नही, मुझे इसकी जानकारी नही है। मेरी लड़की ०३ महीने बाद यही कोर्ट में दिखायी पड़ी थी। मैंने

अपनी लडकी को कोर्ट में देखा था। कोर्ट में लड़की से मेरी बताचीत हुई थी। मैं अपना कोई मुकदमा देखने कोर्ट में आया था, तब मैने अपनी लडकी को देखा था। फिर मैं यहां से अपनी लड़की को घर ले गया था। मैं अपनी लडकी को घर से फिर दरोगा जी के पास लेकर नहीं गया था। फिर दरोगा जी मेरे घर पर आये थे और मेरी लड़की से घर ही पूछताछ किये थे। मेरी लड़की को थाने पर नही ले गये थे। राममूरत दूबे संजय मौर्या के पिता जी से खेत का बैनामा करवाये है। राममूरत घटना के बाद बैनामा करवाये थे। मेरे दो लड़के और एक लड़की है। सबसे बड़ा लड़का है। दूसरे नम्बर पर भी लड़का है। घटना के समय सबसे बड़ा लड़का २५ साल का रहा होगा। घटना के समय दूसरे लड़के की उम्र २२–२३ साल रही होगी। दूसरे लड़के से मेरी लड़की कितनी छोटी है मैं नहीं बता सकता।"

१३– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–२ सुभावती (पीड़िता की माता) ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि "पीड़िता मेरी लडकी है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। घटना हुये लगभग नौ साल हो रहा है। घटना रात आठ बजे की है। मेरी नाबालिग लड़की/पीड़िता घर से बाहर गई थी। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आई तो मैंने अपने पति रामसुभग को यह बात बताई तो वह खोजबीन करने लगे। नात–रिश्तेदारी में भी पता किये। काफी तलाश के बाद पता चला कि मेरी नाबालिग लड़की को मेरे ही गाँव का संजय मौर्या उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मेरी लड़की/पीडिता प्राइमरी पाठशाला चरथरी में पढ़ी है। काफी खोजबीन करने के पश्चात न मिलने पर लोक–लाजवश तुरन्त प्रार्थना पत्र मेरे पति ने नहीं दिया था। जब पता चला तब दस पन्द्रह दिन बाद थाने पर इस घटना की सूचना मेरे पति ने दिया। तब पुलिस ने मेरी नाबालिग लडकी/पीडिता को बरामद किया था। जब वह घर आई थी तो बताई थी कि मुल्जिम संजय मौर्या उसे शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर हैदराबाद लेकर चला गया था और उसे पत्नी की तरह रखा था और उसे घर नहीं आने देता था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी नाबालिग लड़की को भगाने में रामजीत मौर्या, शोभा ने सहयोग किया था।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बताया कि, "मेरे तीन बच्चे हैं। पीड़िता सबसे छोटी है। घटना के समय रात आठ बजे मैं अपने घर पर नहीं थी। घटना के समय पीड़िता के अलावा घर पर कोई और नहीं था, केवल पीड़िता ही थी। मैं अपने खेत पर गई थी। मेरे पति भी मेरे साथ खेत पर ही थे। मैंने अपने आँखों से घटना नहीं देखा था। पीड़िता के वापस घर आने के बाद थाने पर मुकदमा मेरे पति ने लिखाया था। संजय मौर्या व अन्य मुल्जमानों के खिलाफ मुकदमा पीड़िता के बताने के अनुसार लिखाया था। पीडिता के वापस आने के पहले यह जानकारी नहीं थी कि वह किसके साथ गई है।"

१४– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–३ पीड़िता ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि "घटना हुये लगभग दस साल हो रहा है। मैं आज अपने पिता के साथ न्यायालय में बयान देने आई हूँ। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। मैं कक्षा ०७ तक पढी हूँ। संजय मौर्या मेरे ही गाँव का है। वह मेरे घर आता जाता था। विशुन, रामसूरत, जुगेश ये सभी लोग मेरे गांव के है। मेरे गांव के मुल्जिम सजय ने कहा कि चलो तुमको घुमा आये तो मैं उसी के कहने पर उसके

साथ हैदराबाद चली गई थी। मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना था। वह मुझसे शादी नहीं किया था। साक्षी को १६१ सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यही बयान मैंने महिला पुलिस को दिया था। साक्षी को १६४ सीआरपीसी का सीलबन्द लिफाफा दिखलाकर खोलकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि मैंने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर मेरा फोटो व हस्ताक्षर मौजूद है। मैं इसकी पुष्टि करती हूँ। इस पर प्रदर्श क–०२ डाला गया। शारीरिक संबंध बनाने की बात बताई थी। महिला पुलिस मुझे जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर लेकर आई थी। मेरा मेडिकल व एक्सरे कराई थी।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बताया कि, "जब मैं घर से निकली थी तो किसी से नहीं बताई थी। मैं संजय के बुलाने पर घूमने चली गई थी। मैं घर से अकेले ही निकली थी, संजय से मेरी मुलाकात गाँव के बाहर हुई थी। बस में बैठकर हैदराबाद गई थी। बस में तमाम आदमी थे। आगे फिर मैं ट्रेन से भी यात्रा की थी। ट्रेन में भी तमाम आदमी था। बस और ट्रेन में मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं किया था। रास्ते में कुछ पुलिस वाले भी मिले थे। उनसे भी मैंने कोई शिकायत नहीं बताया था। यह सही है कि महिला पुलिस को मैंने बयान दिया है कि संजय मौर्या ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, वह बयान सही है। मजिस्ट्रेट साहब को जो मैंने यह बयान दिया था कि संजय मौर्या मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था, वह मैंने दरोगा जी के कहने से दे दिया था। संजय मौर्या के पिताजी मुझे हैदराबाद से वापस लेकर आये थे। योगेश, राममूरत रामजीत और शोभा ने मुझे भगाने में कोई सहयोग नहीं किया था। मैं आज किसी के दबाव में बयान नहीं दे रही हैं।" **अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि**, "मेरी शादी हो चुकी है। मेरी उम्र २७ साल है। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। घटना वाले दिन में कितने बजे घर से निकली थी, मुझे याद नहीं है। घटना के समय मेरी उम्र १८ साल से अधिक थी। मैं अपना भला बुरा सोचने–समझने में सक्षम हूँ। मैं किस विद्यालय में पढ़ी हूँ याद नहीं है। संजय मौर्या मेरे गाँव का है। मेरी उससे फोन पर बातचीत नहीं होती थी। कभी–कभार मेरे घर पर आता–जाता था। मुझसे मिलता था। बातचीत होती थी। शादी की बात नहीं करता था। मुझे बहलाया–फुसलाया नहीं था। मैं हैदराबाद अपने मन से संजय मौर्या के साथ गई थी। किसी के बहलाने–फुसलाने पर नहीं गई थी। मेरे साथ संजय मौर्या ने कुछ नहीं किया था। मुझे बहलाने–फुसलाने में कौन कौन सहयोग किया था, मुझे याद नहीं है। राममूरत, योगेश और रामजीत तथा शोभा मेरे ही गाँव के हैं। घर से जाने से पहले में इन लोगों से नहीं मिली थी। यह लोग भी मुझे कहीं जाने के लिये कुछ नहीं कहे थे।"

१५– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–४ हरिनारायण दीक्षित, निरीक्षक तैनाती थाना मेंहदावल, जिला–सन्तकबीरनगर ने **अपनी मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि, "मैं माह अगस्त २०१७ में थाना बाँसी में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। मुझे मुकदमा अपराध संख्या १७/२०१७ धारा ३६३,३६६,३७६, १२०बी आईपीसी व ३/४ पाक्सो एक्ट की विवेचना सुपुर्द हुई। उक्त विवेचना पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक राजकुमार यादव द्वारा प्रारम्भ किया गया। उनके द्वारा पर्चा नं. ०१ से पर्चा नं. २२ तक किता किया गया है तथा उक्त विवेचक के स्थानान्तरण

के पश्चात उक्त विवेचना उपनिरीक्षक विजय दूबे को सुपुर्द हुआ। उपनिरीक्षक विजय दूबे द्वारा पर्चा संख्या २३ से २६ तक किता किया गया है। तत्पश्चात उपनिरीक्षक विजय दूबे के स्थानान्तरण के पश्चात उपरोक्त विवेचना मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द हुई। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा पूर्व विवेचकगण द्वारा किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया गया। और पर्चा २७ मेरे द्वारा किता किया गया। दिनांक १३.०९.२०१७ को पर्चा नं. २८ मेरे द्वारा किता किया गया है और उसमे अभियुक्त संजय मौर्या के खिलाफ ८३ सीआरपीसी की कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट की गई है। और उसी दिन पर्चा नं. २८ए में रिपोर्ट प्राप्त की गई है। दिनांक २४.०९.२०१७ को पर्चा नं. २९ में नकल फर्द कुर्की तैयार की गई है। दिनांक २५.०९.२०१७ को पर्चा नं. ३० में अभियुक्तगण संजय मौर्या, रामजीत मौर्या, शोभा, राममूरत दूबे, योगेश पाण्डेय के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा ३६३,३६६,३७६, १२०बी. आईपीसी व ३/४ पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें संजय मौर्या के विरूद्ध मफरूरी में आरोप पत्र मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है। जो पत्रावली में कागज सं. ०३क के रूप में संलग्न है। इस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०३ डाला गया। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं. ०४क एफआईआर अपराध सं. १७/२०१७ धारा ३६३, ३६६ आई.पी.सी. दिखलाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह एफआईआर कांस्टेबिल मुहर्रिर हरिप्रकाश तिवारी द्वारा कम्प्यूटर के सीसीटीएनएस पर किता किया गया था जो पत्रावली में संलग्र है। इस पर कांस्टेबिल मुहर्रिर हरिप्रकाश तिवारी का हस्ताक्षर मौजूद है। मैं उनके हस्ताक्षर को भली भाँति जानता पहचानता हूँ। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०४ डाला गया। जीडी कायमी पत्रावली में कागज सं. ०६क/१ के रूप में संलग्न है। जिसे हरिप्रकाश कांस्टेबिल मुहर्रिर द्वारा किता किया गया था। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को भली भाँति जानता पहचानता हूँ। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०५ डाला गया। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं. ०७क नजरी नक्शा दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह नजरी नक्शा मेरे पूर्व के विवेचक राजकुमार यादव द्वारा घटना के बाबत तैयार किया गया था। राजकुमार यादव के हस्ताक्षर को मैं भली भाँति जानता पहचानता हूँ। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०६ डाला गया। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं. ११क/१ दिखलाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह फर्द कुर्की अभियुक्त संजय मौर्या का मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इस पर मेरा हस्ताक्षर मौजूद है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०७ डाला गया।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कहा है कि "मैंने विवेचना किस समय प्रारम्भ किया था उसका कोई उल्लेख केस डायरी में नहीं है। पीड़िता की बरामदगी मैंने नहीं किया था। नक्शा नजरी मैंने नहीं बनाया था बल्कि मेरे पूर्व के विवेचक ने बनाया था। एफआईआर मेरी मौजूदगी में नहीं दर्ज किया गया था। हेड मुहर्रिर हरिप्रकाश अभी जीवित हैं या नहीं में नहीं बता सकता हूँ। मैं पूर्व विवेचक राजकुमार यादव तथा विजय दूबे के हस्ताक्षर को अभिलेख के आधार पर जानता पहचानता हूँ। अभी दोनों विवेचक लोग सेवा में हैं। वर्तमान में कहाँ पर नियुक्त हैं मुझे जानकारी नहीं है। मैंने इस मुकदमे में केवल आरोप पत्र प्रेषित किया है।"

१६– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–५ धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, इंचार्ज प्रधानाचार्य, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चरथरी, विकास क्षेत्र मिठवल, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर ने **अपनी मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि, "मैं आज अपने विद्यालय का मूल एस. आर. रजिस्टर लेकर आया हूँ, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी मिठवल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। इस रजिस्टर में कुल ७६ पृष्ठ हैं। इसी रजिस्टर के पृष्ठ संख्या ६५ के क्रमांक संख्या २१४५ पर पीड़िता का नामांकन मेरे विद्यालय में दिनांक ३१.०४.२०१३ को कक्षा ०६ में गृहशिक्षा के आधार पर लिया गया था और पीड़िता की जन्मतिथि उसके संरक्षक के बताये जाने के आधार पर दिनांक १०.०७.२००२ अंकित की गई है। पीड़िता कक्षा ०८ उत्तीर्ण कर अपनी टी.सी. ले जा चुकी है। आज मेरे द्वारा लाये गये एस.आर. रजिस्टर के पृष्ठ संख्या ६५ की छायाप्रति कराकर स्वयं प्रमाणित कर न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ। इस पर प्रदर्श क–०८ डाला गया। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज सं. १२क मूल टीसी पीड़िता का दिखलाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह टीसी मेरे द्वारा जारी किया गया था। इसमें भी पीडिता की जन्मतिथि १०.०७.२००२ अंकित है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–०९ डाला गया। आज मेरे द्वारा लाये गये मूल एस.आर. रजिस्टर से मिलान करने पर पीड़िता की जन्मतिथि एकसमान पाई गई। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कहा है कि "पीडिता का नामांकन गृहशिक्षा के आधार पर हुआ था। नामांकन के समय में विद्यालय में तैनात नहीं था। पीडिता के नामांकन के समय पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र लिया गया था या नहीं में इस संबंध में नहीं बता सकता हूँ। पीड़िता का नामांकन मेरे विद्यालय में कक्षा ०६ में लिया गया था। पीड़िता की जन्मतिथि अनुमान के आधार पर संरक्षक के द्वारा अंकित कराया गया था।"

१७– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–६ डॉ. राजीव रंजन रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर ने **अपनी मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि, "मैं दिनांक १२.०४.२०१७ को जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में तैनात था उसी दिन पीडिता को मेरे समक्ष महिला कास्टेबल शान्ति यादव थाना बाँसी द्वारा आयु निर्धारण के लिये एक्सरे हेतु लाया गया था मैंने पीडिता का पहचान चिन्ह अंकित करते हुए एक्सरे प्लेट संख्या २१९ के माध्यम से अपने निर्देशन में एक्सरे कराया जिसमें पीड़िता के दायी कलाई दायी कोहनी व दाये घुटने की एपीफाईसिस प्यूज पाई गयी थी। लेकिन दाये कलाई में फ्यूजन लाईन दिख रही थी। एक्स रे मेडिकोलीगल रिपोर्ट मैने अपने हस्तलेख मे तैयार किया है इस पर मेरा हस्ताक्षर मौजूद है मैं इसकी पुष्टी करता हूँ इस पर प्रदर्श क१० डाला जा चुका है। एक्सरे प्लेप पर वस्तु प्रदर्श १ डाला जा चुका है। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या १०क/४ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र है। जिसकी में पुष्टी करता हूँ इस पर मेरा भी हस्ताक्षर मौजूद है। उसमे पीड़िता आयु तत्कालीन सी एम ओ. ने १८ वर्ष से कम दर्शाया है। इस पर प्रदर्श क११ डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कहा है कि "मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र ०२ वर्ष ऊपर–नीचे के अन्तराल में हो सकता है।"

१८– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–७ अनु मोदी, पूर्व महिला चिकित्सक जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कहा है कि, "मैं दिनांक १४.०४.२०१७ को जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में महिला चिकित्सक के पद पर तैनात थी। उसी दिन दोपहर ०१:३० मिनट पर महिला कांस्टेबल शान्ति यादव द्वारा पीड़िता को मेडिकोलीगल हेतु लाया गया। पीड़िता का पहचान चिन्ह अंकित करने के पश्चात मैंने उसका पल्स व बी.पी. नोट किया, जो कि सामान्य था। पीड़िता ने मुझे बताया था कि वह विवाहित है और संजय नामक लड़का उसे बहला–फुसलाकर हैदराबाद ले गया था। पीड़िता के संरक्षक ने पीड़िता का बाह्य एवं आंतरिक परीक्षण कराने से मना किया था जिसके सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र दिया गया था। जो पत्रावली में कागज सं. १०क/१ के रूप में संलग्न है। पीड़िता की मानसिक स्थिति व चेतना का स्तर सामान्य थी। चूंकि पीड़िता के संरक्षक द्वारा मेडिकोलीगल कराये जाने से मना किये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र दी गयी थी, इसलिये मैंने पीड़िता का कोई आंतरिक परीक्षण नहीं किया था। मैंने पीड़िता के आयु निर्धारण हेतु उसके दांहिनी कलाई, दाहिने घुटने व दाहिनी कोहनी का एक्स–रे कराये जाने के लिये रेडियोलॉजी डिपार्टमेन्ट में भेज दिया था। यह चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का प्रोफार्मा मैंने अपने हस्तलेख में भरा था। इस पर मेरा हस्ताक्षर मौजूद है। मैं इसकी पुष्टि करती हूँ। इस पर प्रदर्श क–१२ डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।" **विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने कहा है. कि, "मेरे द्वारा पीड़िता का आंतरिक परीक्षण नहीं किया गया था। पीड़िता के साथ बलात्कार होने के संबंध में मैं स्पष्ट राय नहीं दे सकती हूँ।"

निष्कर्ष

१९– दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी और उसे अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता बहलाया–फुसलाया नहीं गया था, न ही उसका व्यपहरण कर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया था तथा अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध के विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके अवयस्क पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ले जाया गया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, जिसे अभियोजन साक्षियों द्वारा युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

२०– प्रस्तुत प्रकरण में जिन बिन्दुओं को अभियोजन द्वारा साबित करना है, वे बिन्दु निम्नलिखित है–

१–क्या घटना के समय पीड़िता एक अवयस्क थी?

२– क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके अवयस्क पीड़िता का उसके विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षकता से ले जाया/हटाया गया या उसे विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता को छोड़ने के लिये दुष्प्रेरित किया गया था?

३– क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र पीड़िता को अयुक्तियुक्त संभोग अथवा विवाह करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण/अपहरण किया था?

४–क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा सहअभियुक्त राममूरत के सहयोग से पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया?

५–क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा?

निस्तारण बिन्दु संख्या–१

२१– न्यायालय द्वारा बिन्दु संख्या–१ का निस्तारण किया जा रहा है कि क्या घटना के समय पीड़िता एक अवयस्क थी? उक्त तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन पर है।

२२– उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी। पक्षगण के तर्कों के प्रकाश में सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पीड़िता अथवा किसी व्यक्ति के वयस्क अथवा अवयस्क निर्धारण के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम २०१५ की धारा ९४ के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रमाणित माना गया है–

९४. आयु के बारे में उपधारणा तथा उसका निर्धारण– (१) जहां किसी समिति या बोर्ड को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध (जो साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न हों) के अधीन उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की शारीरिक बनावट के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति बालक है, तब समिति या बोर्ड उस बालक की आयु का यथासम्भव निकटतम कथन करते हुए ऐसा संप्रेक्षण अभिलिखित करेगा तथा उसकी आयु की किसी अग्रिम संपुष्टि की अपेक्षा किए बिना यथास्थिति, धारा १४ या धारा ३६ के अधीन जांच पर अग्रसर होगा।

(२) यदि समिति या बोर्ड के पास इसके बारे में सन्देह करने के लिए उपयुक्त आधार हो कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं है, तब यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य की मांग करते हुए उसकी आयु के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेगा–

(i) विद्यालय से जन्म प्रमाण–पत्र या सम्बद्ध परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, यदि उपलब्ध हों, की तारीख और उसके अभाव में;

(ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी के द्वारा या पंचायत के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में ही, उसकी आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किये गये अस्थि परीक्षण या किए गये किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाएगी :

परन्तु समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु निर्धारण का परीक्षण ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जायेगा।

(३) समिति या बोर्ड के द्वारा उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति की अभिलिखित आयु को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की वास्तविक आयु होना माना जायेगा।

२३– पीड़िता की जन्मतिथि से सम्बन्धित पत्रावली पर अभियोजन द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–११, स्कॉलर रजिस्टर की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–८, पीड़िता के कक्षा आठ के प्रस्थान प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रदर्श क–९ दाखिल किया गया है।

२४– पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में पत्रावली में मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जारी पीड़िता का उम्र निर्धारण प्रमाण–पत्र दिनांकित १५.०४.२०१७ (प्रदर्श क–११) संलग्न है जिसमें चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता की उम्र १८ वर्ष से नीचे होना दर्शित है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण घटना दिनांक २०.१२.२०१६ के लगभग ०३ माह, २५ दिन बाद दिनांक १५.०४.२०१७ को किया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र (प्रदर्श क–११) को साक्षी पी.डब्ल्यू.–६ डॉ. राजीव रंजन रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर द्वारा साबित किया गया है। इस बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा साबित किये गये उक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं होता है। अतः इस साक्षी द्वारा साबित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी पीड़िता का उम्र निर्धारण प्रमाण–पत्र के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र १८ वर्ष कम होना साबित होती है।

२५– पत्रावली में पीड़िता की आयु से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्कॉलर रजिस्टर की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–८, पीड़िता के कक्षा आठ के प्रस्थान प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रदर्श क–९ हैं, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि १०.०७.२००२ अंकित है। उक्त सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों को साक्षी पी.डब्ल्यू.–६ डॉ. राजीव रंजन, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार पीड़िता के उक्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्र प्रदर्श क–८ व प्रदर्श क–९ के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक १०.०७.२००२ होना पायी जाती है तथा प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक २०.१२.२०१६ की है। इस प्रकार शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर घटना के समय पीड़िता की उम्र १४ वर्ष, ०५ माह, १० दिन होना पायी जाती है। जिसका समर्थन चिकित्सीय आख्या से भी होता है, जिसमें पीड़िता की उम्र १८ वर्ष से कम होना दर्शित है। उक्त के अतिरिक्त साक्षी पी.डब्ल्यू.–१ वादी मुकदमा रामसुभग (पीड़िता का पिता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता की उम्र १४ वर्ष होना बतायी है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. में अपनी उम्र १६ वर्ष होना बतायी है। यह उल्लेखनीय है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इस तथ्य का अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–३१३ दं.प्र.सं. में खण्डन नहीं किया गया है और न ही बचाव/खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह साबित है कि पीड़िता घटना के समय एक अवयस्क बालिका थी।

निस्तारण बिन्दु संख्या–२, ०३ व ०४

२६– उक्त बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित है, तथ्यों का दोहराव न हो, इसलिए न्यायालय द्वारा बिन्दु संख्या–२, ०३ व ०४ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है, जो इस प्रकार है–

२– क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके अवयस्क पीड़िता का उसके विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षकता से ले जाया/हटाया गया या उसे विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता को छोड़ने के लिये दुष्प्रेरित किया गया था?

३– क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र पीड़िता को अयुक्तियुक्त संभोग अथवा विवाह करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण/अपहरण किया था?

४–क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा सहअभियुक्त राममूरत के सहयोग से पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया?

२७– उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिये अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्ल्यू.–०१ वादी मुकदमा रामसुभग (पीड़िता का पिता) ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि "पीड़िता मेरी लड़की है। घटना हुए लगभग ९ साल हो रहा है। घटना साम ८ बजे की है। मेरी लड़की/पीड़िता की उम्र घटना के समय लगभग १४ साल थी। मुल्जिम संजय मौर्या मेरे गाँव का है, वही मेरी लड़की/पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले गया था। मैंने काफी खोज बीन किया था, नात–रिश्तेदारो में पता किया था, जब मेरी लड़की/पीड़िता नहीं मिली तो मैं थक–हार कर १५ दिन बाद घटना की सूचना देने थाने पर गया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल कागज संख्या ५क असल तहरीर दिखलाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यही तहरीर मैंने एक आदमी से लिखवाकर, पढवाकर, सुनकर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। मैं इसकी पुष्टी करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–१ डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मुल्जिम रामजीत मौर्या संजय के पिता है। उनको सारी बात मालूम थी। मुल्जिम राममूरत दूबे भी मेरे गाँव का है। उन्होंने भी मेरी लड़की/पीड़िता को भगाने में सहयोग किया था। मुल्जिम शोभा संजय की माँ है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इन्होंने भी मेरी लड़की को भगाने में सहयोग किया था। मुल्जिम योगेश पाण्डेय ग्राम जीवा के हैं, इन्होने भी मेरी नाबालिग लडकी को भगाने में सहयोग किया था। सारी बात मैंने दरोगा जी को बताई थी।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि**, "जिस दिन मेरी लडकी घर से गयी थी। उस समय मै खेत में था। मैंने अपनी आँखो से पीडिता को घर से जाते हुए नहीं देखा था। मैंने मुल्जिम जोगेश पाण्डेय, रामजीत मौर्या, राममूरत दूबे और शोभा मौर्या को अपनी लड़की पीड़िता को भगाते हुए नहीं देखा था। मुझे गाँव के लोगों ने बताया था कि आप की लडकी/पीड़िता को संजय मौर्या भगा कर ले गये है। इसी आधार पर मैंने मुकदमा लिखा दिया था। मैंने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल संजय मौर्या के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है। मेरी लड़की/पीड़िता प्राथमिक विद्यालय चरथरी में पढ़ रही थी। मेरी लड़की शुरु से ही चरथरी में ही पढ़ी है। मेरी लड़की/पीड़िता का कोई जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है। मैंने दरोगा जी को अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६१ सी.आर.पी. सी. में बताया था कि मेरी लड़की के भगाने में

राममूरत दूबे, रामजीत मौर्या, शोभा मौर्या व जोगेश पाण्डेय का हाथ है। यदि मेरे बयान बयान में उक्त बाते दरोगा जी न लिखे हो तो मैं कोई कारण नही बता सकता। घटना वाले दिन मैं साम ०६ बजे घर पर आ गया था। उस समय मेरी लड़की घर पर नहीं थी। जब मेरी लड़की घर से निकली थी तो मेरी पत्नी घर पर थी या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं थाने पर घटना वाले दिन नहीं गया था। मेरी लड़की संजय से बातचीत करती थी या नही, मुझे इसकी जानकारी नही है। मेरी लड़की ०३ महीने बाद यही कोर्ट में दिखायी पड़ी थी। मैंने अपनी लडकी को कोर्ट में देखा था। कोर्ट में लड़की से मेरी बताचीत हुई थी। मैं अपना कोई मुकदमा देखने कोर्ट में आया था, तब मैने अपनी लडकी को देखा था। फिर मैं यहां से अपनी लड़की को घर ले गया था। मैं अपनी लडकी को घर से फिर दरोगा जी के पास लेकर नहीं गया था। फिर दरोगा जी मेरे घर पर आये थे और मेरी लड़की से घर ही पूछताछ किये थे। मेरी लड़की को थाने पर नही ले गये थे। राममूरत दूबे संजय मौर्या के पिता जी से खेत का बैनामा करवाये है। राममूरत घटना के बाद बैनामा करवाये थे। मेरे दो लड़के और एक लड़की है। सबसे बड़ा लड़का है। दूसरे नम्बर पर भी लड़का है। घटना के समय सबसे बड़ा लड़का २५ साल का रहा होगा। घटना के समय दूसरे लड़के की उम्र २२–२३ साल रही होगी। दूसरे लड़के से मेरी लड़की कितनी छोटी है मैं नहीं बता सकता।"

२८– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–२ सुभावती (पीड़िता की माता) ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि "पीड़िता मेरी लडकी है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। घटना हुये लगभग नौ साल हो रहा है। घटना रात आठ बजे की है। मेरी नाबालिग लड़की/पीड़िता घर से बाहर गई थी। काफी देर तक जब वह वापस नहीं आई तो मैंने अपने पति रामसुभग को यह बात बताई तो वह खोजबीन करने लगे। नात–रिश्तेदारी में भी पता किये। काफी तलाश के बाद पता चला कि मेरी नाबालिग लड़की को मेरे ही गाँव का संजय मौर्या उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मेरी लड़की/पीडिता प्राइमरी पाठशाला चरथरी में पढ़ी है। काफी खोजबीन करने के पश्चात न मिलने पर लोक–लाजवश तुरन्त प्रार्थना पत्र मेरे पति ने नहीं दिया था। जब पता चला तब दस पन्द्रह दिन बाद थाने पर इस घटना की सूचना मेरे पति ने दिया। तब पुलिस ने मेरी नाबालिग लडकी/पीडिता को बरामद किया था। जब वह घर आई थी तो बताई थी कि मुल्जिम संजय मौर्या उसे शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर हैदराबाद लेकर चला गया था और उसे पत्नी की तरह रखा था और उसे घर नहीं आने देता था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरी नाबालिग लड़की को भगाने में रामजीत मौर्या, शोभा ने सहयोग किया था।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बताया कि, "मेरे तीन बच्चे हैं। पीड़िता सबसे छोटी है। घटना के समय रात आठ बजे मैं अपने घर पर नहीं थी। घटना के समय पीड़िता के अलावा घर पर कोई और नहीं था, केवल पीड़िता ही थी। मैं अपने खेत पर गई थी। मेरे पति भी मेरे साथ खेत पर ही थे। मैंने अपने आँखों से घटना नहीं देखा था। पीड़िता के वापस घर आने के बाद थाने पर मुकदमा मेरे पति ने लिखाया था। संजय मौर्या व अन्य मुल्जमानों के खिलाफ मुकदमा पीड़िता के बताने के

अनुसार लिखाया था। पीडिता के वापस आने के पहले यह जानकारी नहीं थी कि वह किसके साथ गई है।"

२९– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू.–३ पीड़िता ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि "घटना हुये लगभग दस साल हो रहा है। मैं आज अपने पिता के साथ न्यायालय में बयान देने आई हूँ। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। मैं कक्षा ०७ तक पढी हूँ। संजय मौर्या मेरे ही गाँव का है। वह मेरे घर आता जाता था। विशुन, रामसूरत, जुगेश ये सभी लोग मेरे गांव के है। मेरे गांव के मुल्जिम सजय ने कहा कि चलो तुमको घुमा आये तो मैं उसी के कहने पर उसके साथ हैदराबाद चली गई थी। मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना था। वह मुझसे शादी नहीं किया था। साक्षी को १६१ सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यही बयान मैंने महिला पुलिस को दिया था। साक्षी को १६४ सीआरपीसी का सीलबन्द लिफाफा दिखलाकर खोलकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि मैंने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस पर मेरा फोटो व हस्ताक्षर मौजूद है। मैं इसकी पुष्टि करती हूँ। इस पर प्रदर्श क–०२ डाला गया। शारीरिक संबंध बनाने की बात बताई थी। महिला पुलिस मुझे जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर लेकर आई थी। मेरा मेडिकल व एक्सरे कराई थी।" **बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बताया कि, "जब मैं घर से निकली थी तो किसी से नहीं बताई थी। मैं संजय के बुलाने पर घूमने चली गई थी। मैं घर से अकेले ही निकली थी, संजय से मेरी मुलाकात गाँव के बाहर हुई थी। बस में बैठकर हैदराबाद गई थी। बस में तमाम आदमी थे। आगे फिर मैं ट्रेन से भी यात्रा की थी। ट्रेन में भी तमाम आदमी था। बस और ट्रेन में मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं किया था। रास्ते में कुछ पुलिस वाले भी मिले थे। उनसे भी मैंने कोई शिकायत नहीं बताया था। यह सही है कि महिला पुलिस को मैंने बयान दिया है कि संजय मौर्या ने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, वह बयान सही है। मजिस्ट्रेट साहब को जो मैंने यह बयान दिया था कि संजय मौर्या मेरे साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया था, वह मैंने दरोगा जी के कहने से दे दिया था। संजय मौर्या के पिताजी मुझे हैदराबाद से वापस लेकर आये थे। योगेश, राममूरत रामजीत और शोभा ने मुझे भगाने में कोई सहयोग नहीं किया था। मैं आज किसी के दबाव में बयान नहीं दे रही हैं।" **अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि**, "मेरी शादी हो चुकी है। मेरी उम्र २७ साल है। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। घटना वाले दिन में कितने बजे घर से निकली थी, मुझे याद नहीं है। घटना के समय मेरी उम्र १८ साल से अधिक थी। मैं अपना भला बुरा सोचने–समझने में सक्षम हूँ। मैं किस विद्यालय में पढ़ी हूँ याद नहीं है। संजय मौर्या मेरे गाँव का है। मेरी उससे फोन पर बातचीत नहीं होती थी। कभी–कभार मेरे घर पर आता–जाता था। मुझसे मिलता था। बातचीत होती थी। शादी की बात नहीं करता था। मुझे बहलाया–फुसलाया नहीं था। मैं हैदराबाद अपने मन से संजय मौर्या के साथ गई थी। किसी के बहलाने–फुसलाने पर नहीं गई थी। मेरे साथ संजय मौर्या ने कुछ नहीं किया था। मुझे बहलाने–फुसलाने में कौन कौन सहयोग किया था, मुझे याद नहीं है। राममूरत, योगेश और रामजीत

तथा शोभा मेरे ही गाँव के हैं। घर से जाने से पहले में इन लोगों से नहीं मिली थी। यह लोग भी मुझे कहीं जाने के लिये कुछ नहीं कहे थे।"

३०– उभयपक्षों के तर्कों एवं अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन व विश्लेषण किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि साक्षी पी.डब्ल्यू.–१ वादी रामसुभग ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर उसकी लड़की/पीड़िता को उसके गांव का संजय सहअभियुक्तगण राममूरत दूबे, रामजीत मौर्या, शोभा, योगेश पाण्डेय के सहयोग से भगा ले गया। परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस दिन उसकी लड़की/पीड़िता घर से गयी थी, उस समय वह खेत में था, उसने अपनी आँखों से पीड़िता को घर से जाते हुए नहीं देखा था। उसने अभियुक्तगण योगेश पाण्डेय, रामजीत मौर्या, राममूरत दूबे व शोभा को अपनी लड़की/पीड़िता को भगाते हुए नहीं देखा था। उसे गांव के लोगों ने बताया था कि उसकी लड़की/पीड़िता को संजय मौर्या भगाकर ले गया है, इसी आधार पर उसने मुकदमा लिखा दिया है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर ले जाते नहीं देखा था। यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

३१– साक्षी पी.डब्ल्यू.–२ सुभावती (पीड़िता की माता) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर उसकी लड़की/पीड़िता घर से बाहर गयी थी, काफी देर तक वापस नहीं आयी, तब पता चला कि उसकी लड़की/पीड़िता को उसके गांव का संजय मौर्य सहअभियुक्तगण रामजीत मौर्या व शोभा के सहयोग से बहला–फुसलाकर हैदराबाद लेकर चला गया था और पीड़िता को पत्नी की तरह रखा था और पीड़िता को घर नहीं आने देता था। परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय पीड़िता के अलावा घर पर कोई नहीं था। वह अपने खेत पर गई थी, उसके पति भी उसके साथ खेत पर ही थे, उसने अपनी आँखों से घटना को नहीं देखा है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर ले जाते नहीं देखा था। यह साक्षी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

३२– साक्षी पी.डब्ल्यू.–३ पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत **धारा–१६४ दं.प्र.सं.** में कथन किया है कि दिनांक १७.१२.२०१६ को लगभग ११–१२ बजे संजय की माता शोभा देवी, उसे खेत के बहाने ले गयी, वहां उसने अपने बेटे संजय से कहा कि उसे लेकर भाग जाओ। संजय ने उससे कहा कि वह (संजय) उसे घूमा लायेगा। संजय के बहलाने–फुसलाने पर वह संजय के साथ हैदराबाद चली गयी। हैदराबाद में वह संजय के साथ किराये के कमरे में रही। संजय उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध भी बनाता था। जुगेश दूबे, राममूरत दूबे, रामजीत व शोभा साजिश में शामिल थे। परन्तु इस साक्षी ने अपने बयान **अन्तर्गत धारा–१६१ दं.प्र.सं. में** कहा है कि उसके गांव के विशुन लाल, राममूरत दूबे, जुगेश दूबे व गांव की दो औरतें संजय से कही कि तुम उसे भगा ले जाओ, तब दिनांक १७.१२.२०१६ को संजय ने उससे कहा कि चलो घूमाकर लाता हूँ तो वह

संजय के साथ चली गयी। उसके बाद संजय उसे हैदराबाद लेकर चला गया, वहां पर संजय किराये का मकान लेकर रहा। उसके व संजय के बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना है और न ही वे दोनों शादी किये हैं। इस साक्षी ने **अपनी मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि अभियुक्त संजय ने उससे कहा कि तुमको घूमा लाये तो वह संजय के कहने पर संजय के साथ हैदराबाद चली गयी थी। उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं., धारा–१६१ दं.प्र.सं. में अभियुक्तगण योगेश पाण्डेय, राममूरत दूबे, रामजीत मौर्या व शोभा के कहने पर अभियुक्त संजय द्वारा उसे बहला–फुसलाकर घुमाने के बहाने हैदराबाद ले जाने का कथन किया है, जबकि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र संजय मौर्या के कहने पर हैदराबाद जाने का कथन किया है, जबकि बचावपक्ष द्वारा की गयी जिरह में पीड़िता द्वारा विरोधाभासी कथन प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण योगेश, राममूरत, रामजीत और शोभा ने उसे भगाने में कोई सहयोग नहीं किया था तथा अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि उसे बहलाया–फुसलाया नहीं था, वह हैदराबाद अपने मने से संजय मौर्या के साथ गयी थी, वह किसी के बहलाने–फुसलाने पर नहीं गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता को बहला–फुसलाकर जबरदस्ती नहीं ले जाया गया। अभियुक्त संजय मौर्या के साथ जाने में पीड़िता की सहमति थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा, अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये बयान से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा सहअभियुक्तगण के कहने पर पीड़िता को बहला–फुसलाकर घुमाने का लालच देकर वादी मुकदमा के विधिपूर्ण संरक्षकता से दूर ले जाया गया था अथवा पीड़िता को अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता छोड़े जाने हेतु किसी प्रकार से दुष्प्रेरित किया गया था। **वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. १९६५ सुप्रीम कोर्ट ९४२ के वाद में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया है कि, "एक अवयस्क लड़की अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणाम को अच्छी प्रकार जानते हुये अपने पिता का संरक्षण छोड़कर स्वेच्छया अभियुक्त के पास चली आयी। उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि 'ले जाने' तथा किसी अवयस्क को किसी के साथ जाने की अनुमति देना, दोनों में अन्तर है। प्रस्तुत वाद में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त लड़की को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से परे ले गया था। इस धारा के अन्तर्गत दोषसिद्धि तभी प्रदान की जाएगी जब यह सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त ने घर छोड़ने के लिये लड़की को उत्प्रेरित किया था या इस प्रयोजन हेतु उसके आशय निर्माण में सक्रिय योगदान किया था। अतएव अभियुक्त व्यपहरण के अपराध का दोषी नहीं होगा।" प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त से परे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त संजय मौर्या ने पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया था या इस प्रयोजन हेतु उसके आशय निर्माण में सक्रिय योगदान दिया था।९७

ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा ३६३ भा.दं.सं. अयुक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते है।

३३- अब यह देखा जाना है कि क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र पीड़िता को अयुक्तियुक्त संभोग अथवा विवाह करने के उद्देश्य से उसका व्यपहरण/अपहरण किया था? उक्त समस्त समीक्षा के आधार पर पीड़िता एक अवयस्क बालिका थी, परन्तु अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर घुमाने का लालच देकर वादी मुकदमा के विधिपूर्ण संरक्षकता से दूर ले जाया गया, यह तथ्य अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य से युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-१ वादी मुकदमा रामसुभाग (पीड़िता का पिता) व पी.डब्ल्यू.-२ सुभावती (पीड़िता की माता) मामले के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाते, भगाते नहीं देखा गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता को बहला–फुसलाकर जबरदस्ती नहीं ले जाया गया। अभियुक्त संजय मौर्या के साथ जाने में पीड़िता की सहमति थी। **कविता चन्द्रकान्त लखानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर. २०१८ एस.सी. २०९९** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा ३६६ के अन्तर्गत अपराध के गठन के लिए किसी स्त्री का व्यपहरण किया जाना मात्र पर्याप्त नहीं है। ऐसा व्यपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किये जाने अथवा अयुक्तियुक्त संभोग के लिए विवश किये जाने हेतु होना अपेक्षित है। उपरोक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि अभियोजन द्वारा यह तथ्य साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्त द्वारा घटना के तिथि समय व स्थान से अयुक्तियुक्त संभोग या विवाह के आशय से पीड़िता को बलपूर्वक व्यपहरण या अपहरण किया गया है। क्योंकि पीड़िता ने यह स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि वह अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से गयी थी, उन्होंने विवाह नहीं किया था और उनके बीच शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित नहीं हुए थे। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा ३६६ भा.दं.सं. अयुक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

३४– अब यह देखा जाना है कि क्या घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा सहअभियुक्त राममूरत के सहयोग से पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया? अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-१ वादी मुकदमा रामसुभाग (पीड़िता का पिता) व पी.डब्ल्यू.-२ सुभावती (पीड़िता की माता) मामले के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाते, भगाते नहीं देखा गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-१६४ दं.प्र.सं. में कथन किया है कि अभियुक्त संजय द्वारा सहअभियुक्तगण रामजीत, राममूरत दूबे, शोभा व योगेश पाण्डेय के कहने पर उसे घुमाने के बहाने हैदराबाद ले जाया गया और वहां

उसके साथ साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है, परन्तु पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-१६१ दं.प्र.सं. में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके व अभियुक्त संजय मौर्या के बीच में कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना था और न ही उन दोनों ने शादी की थी। इसी प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में कहीं भी अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध करने का कथन नहीं किया गया है, बल्कि पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना है और संजय मौर्या ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ साक्ष्य एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। मामले की सर्वोत्तम साक्षी पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप कि अभियुक्त संजय द्वारा सहअभियुक्तगण राममूरत, रामजीत, शोभा व योगेश पाण्डेय के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से हैदराबाद ले जाया गया और वहां अभियुक्त संजय मौर्या ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य प्रदर्श क–१२, जिसे साक्षी पी.डब्ल्यू.–७ डॉक्टर अनु मोदी द्वारा साबित किया गया है, से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त के द्वारा बलात्कार किये जाने का तथ्य साबित नहीं हो रहा है। साक्षी पी.डब्ल्यू.–०७ डॉक्टर अनु मोदी ने यह साक्ष्य दिया है कि पीड़िता के संरक्षक ने पीड़िता का बाह्य व आन्तरिक परीक्षण कराने से मना किया था, जिसके सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र भी दिया था। इस प्रकार चिकित्सीय आख्या से भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में उक्त साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. भा.दं.सं. व ७/८ पाक्सो एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है।

३५– दौरान बहस विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि पीड़िता द्वारा अपने धारा–१६१ दं.प्र.सं. व धारा–१६४ दं.प्र.सं. के बयान में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। ऐसे में मात्र गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. में अभियुक्तगण योगेश पाण्डेय, राममूरत दूबे, रामजीत मौर्या व शोभा के कहने पर अभियुक्त संजय द्वारा उसे बहला–फुसलाकर घुमाने के बहाने हैदराबाद ले जाने व अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का कथन किया है, जबकि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में मात्र संजय मौर्या के कहने पर हैदराबाद जाने का कथन किया है, जबकि बचावपक्ष द्वारा की गयी जिरह में पीड़िता द्वारा विरोधाभासी कथन प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण योगेश, राममूरत, रामजीत और शोभा ने उसे भगाने में कोई सहयोग नहीं किया था तथा अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि उसे बहलाया–फुसलाया नहीं था, वह हैदराबाद अपने मने से संजय मौर्या के साथ गयी थी, वह किसी के

बहलाने–फुसलाने पर नहीं गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ साक्ष्य एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता को बहला–फुसलाकर जबरदस्ती नहीं ले जाया गया। अभियुक्त संजय मौर्या के साथ जाने में पीड़िता की सहमति थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा, अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये बयान से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा सहअभियुक्तगण राममूरत, रामजीत, शोभा व योगेश पाण्डेय के कहने पर पीड़िता को बहला–फुसलाकर घुमाने का लालच देकर वादी मुकदमा के विधिपूर्ण संरक्षकता से दूर ले जाया गया था अथवा पीड़िता को अपने विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता छोड़े जाने हेतु किसी प्रकार से दुष्प्रेरित किया गया था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में मात्र धारा–१६१ दं.प्र.सं. व धारा–१६४ दं.प्र.सं. के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा–१६१ दं.प्र.सं. व धारा–१६४ दं.प्र.सं. का बयान मौलिक साक्ष्य नहीं होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि **पोट्दार नरायण बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. (१९७५) ४ एस.सी.सी. १५३ और रामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर १९९७(८) एस.सी.सी. ३२५ (एस.सी.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि "अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और इसका प्रयोग प्रतिपरीक्षा में साक्षियों का खण्डन करने के लिए किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय को सम्पुष्टि के प्रयोजन के लिए भी ऐसे कथन का प्रयोग करने से निषेध किया गया है।" **बीरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. २०१७ एस.सी. १२२८** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि "धारा–१६१ दं.प्र.सं. के अन्तर्गत का कोई भी भाग अभियुक्त को दोषिता निर्धारित करने में विचार में नहीं लिया जा सकता है और अन्वेषण के दौरान किये गये और धारा–१६१ दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभिखित कथन वह साक्ष्य गठित नहीं करता, जिस पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए निर्भर किया जा सके।" अपने बयान अन्तर्गत धारा १६४ दं.प्र.सं. के संबंध में पीड़िता ने यह बयान दिया है कि यह बयान मैंने अपनी माता के कहने व दबाव विद्वान मजिस्ट्रेट को दे दिया था। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **जवधी शेष राव बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1995 क्रिमिनल ला जनरल 897** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि–मात्र धारा–१६४ दं.प्र.सं. के बयान के आधार पर अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती है। धारा–१६४ दं.प्र.सं. का बयान सारभूत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता है, बल्कि न्यायालय में साक्षी द्वारा सशपथ दिया गया बयान प्रभावी माना जाता है। धारा–१६४ दं.प्र.सं. के बयान का प्रयोग किसी तथ्य के खण्डन या सम्पुष्टि के लिए किया जा सकता है। तद्नुसार अभियोजन के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

३६– दौरान बहस बचावपक्ष के विद्वान द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटना दिनांक २०.१२.२०१६, समय करीब २०.०० बजे की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ०५.०१.२०१७ को समय २१.०५ बजे लगभग १५ दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो अभियोजन कथानक को दूषित करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब के सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना चाहूँगा– सूचना रिपोर्ट के विलम्ब के सम्बन्ध में मैं विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना चाहूँगा–**गनेश भवन पटेल बनाम महाराष्ट्र, राज्य (१९७८) ४ एस०सी०सी० पेज–३७१** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल करने में यदि असम्यक् अथवा युक्तियुक्त विलंब होता है तो इससे न्यायालय को इत्तिलाकार के संभाव्य प्रयोजन और उसके स्पष्टीकरण की ओर अत्यंत सतर्क निगाह रखने की आवश्यकता महसूस होने लगती है और तब वह अभियोजक की विश्वसनीयता पर कठोर दृष्टि रखने को बाध्य हो जाता है। **अवधेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य (१९८८) २ एस०सी०सी० पेज–५५७ एवं शिवराज बाबूराय जाधव बनाम कर्नाटक, (२००३) ५ एस०सी०सी० पेज–३९२** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में विलंब किया गया था, यद्यपि समस्त संबंधित अधिकारी घटना के बाद शीघ्र ही अपराध स्थल पर पहुँच गये थे, पुलिस थाना भी वहाँ से नजदीक था और यह दावा किया गया था कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण वहाँ विद्यमान थे, अभियोजन द्वारा विलंब का कोई संतुष्टिकारक स्पष्टीकरण न दिये जाने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितियों घटना स्थल और घटना के समय साक्षियों की उपस्थिति को संदेहमय बना देती है। **शीलम रमेश बनाम आन्ध्र प्रदेश (१९९९) ८ एस०सी०सी० पेज ३६९** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि जहाँ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में विलंब हुआ और उस विलंब का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण कर दिया गया हो, वहाँ चाहे भले ही पुलिस थाना बहुत कम दूरी पर हो, उस विलंब को अनदेखा कर दिया जायेगा। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में यदि साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता तो यह पाया जाता कि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-१ वादी मुकदमा रामसुभाग (पीड़िता का पिता) व पी.डब्ल्यू.-२ सुभावती (पीड़िता की माता) मामले के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाते, भगाते नहीं देखा गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-१६४ दं.प्र.सं. में कथन किया है कि अभियुक्त संजय द्वारा सहअभियुक्तगण रामजीत, राममूरत दूबे, शोभा व योगेश पाण्डेय के कहने पर उसे घुमाने के बहाने हैदराबाद ले जाया गया और वहां उसके साथ साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है, परन्तु पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-१६१ दं.प्र.सं. में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसके व अभियुक्त संजय मौर्या के बीच में कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना था और न ही उन दोनों ने शादी की थी। इसी प्रकार पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में कहीं भी अभियुक्त संजय मौर्या द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध करने का कथन नहीं किया

गया है, बल्कि पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके साथ कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना है और संजय मौर्या ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये सशपथ साक्ष्य एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त सभी साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उक्त मामले में पीड़िता अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की तिथि २०.१२.२०१६ से लगभग १५ दिन विलम्ब से दिनांक ०५.०१.२०१७ को दर्ज करायी गयी है, जबकि विलम्ब का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण भी अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। अतः उक्त समस्त से भी घटना सन्देहास्पद हो जाती है।

३७– अब न्यायालय को इस तथ्य की समीक्षा करनी है कि क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा?

३८– अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-१ वादी मुकदमा रामसुभाग (पीड़िता का पिता) व पी.डब्ल्यू.-२ सुभावती (पीड़िता की माता) मामले के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और इन साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाते, भगाते नहीं देखा गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू.-३ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. व धारा–१६१ दं.प्र.सं. में दिये गये साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न कथन प्रस्तुत किये गये हैं। मामले की सर्वोत्तम साक्षी पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू.–४ हरिनारायण दीक्षित निरीक्षक (विवेचक) द्वारा आरोप–पत्र को प्रदर्श क–३ के रूप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–४ के रूप में, जी.डी. कायमी को प्रदर्श क–५ के रूप में, घटना स्थल की नक्शा नजरी को प्रदर्श क–६ के रूप में, फर्द को प्रदर्श क–७ के रूप में साबित किया है, साक्षी पी.डब्ल्यू.–६ डॉ. राजीव रंजन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा पीड़िता की मेडिकोलीगल (एक्स–रे) रिपोर्ट को प्रदर्श क–१० के रूप में, एक्स–रे प्लेट को वस्तु प्रदर्श–१ के रूप में, सी.एम.ओ. द्वारा जारी पीड़िता के उम्र निर्धारण प्रमाण–पत्र को प्रदर्श क–११ के रूप में साबित किया है, साक्षी पी.डब्ल्यू.–७ डॉ. अनु मोदी, महिला चिकित्सक द्वारा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या को प्रदर्श क–१२ के रूप में साबित किया है, लेकिन उक्त साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं और इनके साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्त संजय द्वारा सहअभियुक्तगण राममूरत, रामजीत, शोभा व योगेश पाण्डेय के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र करके पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से हैदराबाद ले जाया गया और वहां अभियुक्त संजय मौर्या ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। अभियोजन द्वारा

अभियुक्तगण संजय मौर्या व राममूरत दूबे के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है।

३९– मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के सम्यक मूल्यांकन एवं विश्लेषण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण संजय मौर्या व राममूरत दूबे के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी भा.दं.सं. व ३/४ पाक्सो एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्तगण संजय मौर्या पुत्र रामजीत मौर्या व राममूरत दूबे पुत्र लाल दूबे, निवासीगण ग्राम गोपलापुर, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–३/४ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

४०– प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण **संजय मौर्या** पुत्र रामजीत मौर्या व **राममूरत दूबे** पुत्र लाल दूबे, निवासीगण ग्राम गोपलापुर, थाना बांसी, जिला–सिद्धार्थनगर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–३६३, ३६६, ३७६, १२०बी. व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–३/४ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

४१– अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उनके जमानतनामे व बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु०–५०,०००/–५०,०००/–(पचास हजार–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और इसी धनराशी के दो प्रतिभू अन्तर्गत धारा–४३७ए दं०प्र०सं० अपीलीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार दाखिल करे।

(बीरेन्द्र कुमार)

दिनांक–०३.०८.२०२६ **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सिद्धार्थनगर।

जे.ओ. कोड---यू.पी. ६४६३

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(बीरेन्द्र कुमार)

दिनांक–०३.०८.२०२६ **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सिद्धार्थनगर।

जे.ओ. कोड–––यू.पी. ६४६३